



13



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक :

/2014 R-3278 III/14

विनायक मार्ग, अ.प्र.
द्वारा आज दि. 26-9-14

26-9-14

1. दीपक उर्फ छोटू पिता अशोक कुमार
2. मुस. फूलबाई बेवा अशोक कुमार,
निवासीगण-ग्राम बालूपुर, तहसील अजयगढ़,
जिला पन्ना (म.प्र.)
3. हरीश चन्द्र उर्फ दीपू पिता अशोक कुमार
4. प्रदीप पिता अशोक कुमार
5. रूबी उर्फ छोटी बाई पुत्री अशोक कुमार
निवासीगण-ग्राम बालूपुर, तहसील अजयगढ़,
जिला पन्ना (म.प्र.)
6. श्रीमती कविता उर्फ बड़ी बाई पुत्री श्री अशोक
कुमार पत्नि श्रीकान्त त्रिवेदी, निवासी-ग्राम,
किशनूपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.)

—आवेदकगण

बनाम

1. चन्दन उर्फ कल्ली पत्नी श्री कृष्ण बिहारी
ब्राम्हण, निवासी-ग्राम कठगांय, राजस्व नि. म.
धरमपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.)

—असल अनावेदक

2. बबलू पिता भइयादीन ब्राम्हण,
3. श्रीराम पिता भइयादीन ब्राम्हण,
निवासीगण-कठगांय, तहसील अजयगढ़, जिला
पन्ना (म.प्र.)
4. लुइया पिता भइयादीन ब्राम्हण
निवासी-ग्राम तुरा, तहसील अर्तरा, जिला बांदा (उ.प्र.)
5. मिथू पुत्री भइयादीन ब्राम्हण पत्नी श्री राजाराम
भार्गव, निवासी-ग्राम त्रिवेनी, तहसील व जिला
बांदा (उ.प्र.)

विनायक मार्ग
अ.प्र.
26-9-2014

शाखा प्रभारी (रा.अं.)
कार्यालय महाविद्यालय, ग्वालियर

2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 3278-तीन/2014

जिला पन्ना

दीपक उर्फ छोटू आदि

विरुद्ध

चन्दन उर्फ कल्ली आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री अमित भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 18-9-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर जिला पन्ना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="center">3</p>	<p align="right">  (आर0क0 जैन) 18/02/2019 सदस्य </p>